बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 2/नि0 1–101/2022 - 328

प्रेषक,

नित्यानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

-मेल

सेवा मे,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक एवं रूपांकण सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक एवं रूपांकण सहित),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 8/12/23

विषय–कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) की सेवा संपुष्टि एवं वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–1609 दिनांक–24.05.2011 द्वारा सेवा संपुष्टि एवं अगली वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णत्ता संबंधी निदेश संसूचित है, जो पर्यवेक्षकीय श्रेणी के कनीय अभियंता के पद पर भी लागू है, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–3127 दिनांक–03.06.2018 द्वारा कम्प्यूटर परीक्षा से विमुक्ति संबंधी निर्णय भी अधिसूचित है।

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में दिनांक–11.10.2019 के पहले 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कनीय अभियंताओं को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णत्ता प्राप्त करने से स्वतः विमुक्त करने के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तो के साथ सहमति प्रदान की गयी है :–

(i) विमुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिया जायेगा।

(ii) दिनांक–11.10.2019 को आवेदक 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो।

(iii) विमुक्ति से सरकारी सेवक के धारित पद के कार्य क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) सरकारी सेवक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल अभियुक्ति ना हो, उनकी सेवा संतोषप्रद हो एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्रवाई लंबित न हो।

P.T.C

तदालोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक–4266 दिनांक–28.12.2021 (छायाप्रति संलग्न) एवं लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ने अपने ज्ञापांक–1268 दिनांक–14.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पत्र निर्गत किया गया।

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के उक्त पत्र के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के मामलों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा से विमुक्ति संबंधी परामर्श की मांग की गयी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नलिखित परामर्श संसूचित किया गया :–

"यदि प्रशासी विभाग अर्थात् लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन कनीय अभियंताओं के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन कनीय अभियंताओं के संदर्भ में लिये गये निर्णय के समरूप निर्णय लिया जाता है तब इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति संसूचित की जा सकती है।"

अतएव सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वैसे कनीय अभियंताओं को जो दिनांक–11.10.2019 को 50 वर्ष से अधिक के हो तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में अनुत्तीर्ण है अथवा जिन्होंने उक्त परीक्षा में भाग नहीं लिया हो, से आवेदन प्राप्त कर विमुक्ति हेतु ऊपर वर्णित कंडिका–(i) से (iv) में उल्लेखित बंधेजों एवं शर्तो के संबंध में स्पष्ट अभ्युक्ति के साथ प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध करायी जाय, ताकि उक्त शर्तो को पूर्ण करने वाले कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जा सकें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(नित्यानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को)

ज्ञापांक–2/नि0 1–101/2022 – 329 पटना, दिनांक– 8/12/23

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को)

ज्ञापांक–2/नि0 1–101/2022 – 328 पटना, दिनांक– 8/12/23

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को)